case, No. RCI(A)/90-ACU(IV), a pan report was submitted to the Government by the Central Bureau of Investigation (CBI). It has not been possible to complete the investigation mainly due to protracted litigation by some of the accused in Swiss courts against transfer of documents from Switzerland to India, and other legal steps taken by them.

फर्रुखाबाद में रसोई-गैस की आपूर्ति

*226. **प्रो0 रामबख्श सिंह वर्मा** :क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, विशेषकर फर्रुखाबाद में, लोगों को एल0 पी0 जी एजेंसियों की कमी के कारण ईधन हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त जिलों में और नई एल0 पी0 जी0 एजेंसियां स्थापित करने पर विचार कर रही हैं, और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के0 रामपूर्ति) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिलों में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को तेल कंपनियां द्वारा एल0 पी0 जी की आपूर्ति में किसी विफलता की सूचना नहीं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 680 एल0 पी0 जी0 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्य की एल0 पी0 जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रचालनरत हैं। इनमें से 4 फर्रुखाबाद जिले में हैं। एल0 पी0 जी0 की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1996-98 की एल0 पी0 जी विपणन योजना में उत्तर प्रदेश के लिए 418 नई एल0 पी0 जी0 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं, जिनमें से 8 फर्रुखाबाद जिले के लिए हैं।

(ग) तेल कम्पनियों ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए अनेक स्थानों हेतु पहले से ही विज्ञापन के दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 10 डीलर चयन की प्रक्रिया जारी हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से आरम्भ विभिन्न घटकों पर निर्भर करता हैं जैसे विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्डो द्वारा आयोजित साक्षात्कार, भूमि प्राप्त करना,उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना और डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम का निर्माण आदि। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरम्भ होने में आमतौर पर लगभग 6-12 महीने का समय लगता हैं।

सारी वर्ष बहने वाली नदियों के जल का प्रयोग

*227. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या देश में सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल को घरेलू सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हैं,

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के चल का उपर्युक्त अयोजनों हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग किए जाने का अनुमान हैं,

(ग) जल की कितनी मात्रा उपयोग में लाए बिना समुद्र में बह जाती हैं,

(घ) क्या सरकार ने बिना उपयोग किए समुद्र में बह जाने वाले जल को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की हैं, और

(ड़) यदि हां, तो इसमें चल की कितनी मात्रा का उपयोग हो सकते ही संभावना हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ड़) नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर बाधाओं के कारण उपयोज्य जल संसाधन 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया हैं जिसमें सतही जल से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर लगभग 432 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिग पुनर्भरण भूजल संसाधनों से हैं। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीण बाधाओं, वाष्पीकरण से हैं। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय बाधाओं, वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों तथा नदी व्यवस्था (रेज़ीम) को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित होने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हैं।

विभिन्न उपयोगों के लिए वर्ष 2000 के वास्ते जल की मांग निम्न प्रकार प्राकलित की गई हैं :-

क्र0 सं0	उपयोग	सन् 2000 के लिए निर्धारित जल की मांग बिलियन क्यूबिक मीटर
1.	घरेलू	33
2.	सिंचाई	630
3.	उद्योग	30
4.	ऊर्जा	27
5.	अन्य	30
	कुल	750

भविष्य में जल की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं । इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वालें बेसिनों को जच का स्थानान्तरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और मितव्ययी उपयोग को संवर्धित करने वाली जल प्रबंधन पद्धतियों, विभिन्न पद्धतियों के द्वारा जल संरक्षण पर बल देना जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी शामिल हैं, सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग की स्थापना के साथ-साथ चुनी हुई चल रही प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल हैं ।

जल संसाधन योजनाओं की आयोजना, उन्हे तैयार करना और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं । योजनावधि के आरंभ से उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं । कई छोटे और बड़े बांध शुरू किए गए और इसके फलस्वरूप, योजनावधि के आरंभ होने के समय की 15.64 बी0 सी0 एम0 की कुल भण्डारण क्षमता अब 1995 में बढ़कर 177 बी0 सी0 एम0 हो गई हैं । साथ ही निर्माण के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत बांधों के द्वारा 75 बी0 सी0 एम0 की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी । इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन/विचाराधीन बांधों से 132 बी0 सी0 एम0 अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित होगी ।

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता

*228. **श्री राघाकिशन मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजनाके दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हैं,

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए, और

(ग) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को लाभान्वित करने के लिए नई योजनाएं बनाने का विचार रखती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) फसलों, बागवानी,वर्षासिंचित कृषि आदि के विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये मध्य प्रदेश सरकार को 292 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना हैं जिसके लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों को मिलते हैं । आठवीं योजना के दौरान कुछ केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभानुभोगियों की संख्या
1.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	1622
2	किसानों का आदान-प्रदान	278
3	कृषक-वैज्ञानिक मेल-जोल	1491
4	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	375326
5	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	386648
6	अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के लिए विशेष स्कीम	17589
7	समेकित कृषि प्रबन्ध	8956

(ग) जी, हां । नौवी पंचवर्षीय योजना में मध्या प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में, अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।